






न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

वाद पत्र सं. 94/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act

विनोद बनाम अनिल कुमार उर्फ सतवीर आदि

आदेश दिनांक	हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुयम की तामील में जारी हुए
19.07.2021	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री सोमवीर सिंह एडवोकेट के द्वारा प्रस्तुत करने पर बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलवाना पर जरिये सम्मन जारी हो। पत्रावली वारते तलबी दिनांक 13.08.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ</p>	
13/8/21	<p>आज पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिकेन उपस्थित। पीठारीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर है। मिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 27/8/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> रीडर</p>	<p>NOT Press, विनोद बनाम अनिल कुमार उर्फ सतवीर आदि</p>
17/8/21	<p>प्राची की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली आज तलब की गई। प्राची/वादी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सोमवीर Adv. उपस्थित। प्राची ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हम पञ्जाब में आपली राजीनामा से गण। इतलिके इन्वे के गरी नही यलाना चाखी है। वने को NOT Press करने की अनुमति प्रदान करे। प्राची ने उनके अधिवक्ता के द्वारा गण। प्राची को इन्वे के NOT Press करने की अनुमति प्रदान की गली है। प्राची को पक्षगत अधिवक्ता सोमवीर Adv. द्वारा की गरी। इन्वे वाड वाडी इन्वे त्तर पर NOT Press में शपदीज किया जा रहा है। प्राची गण। के काम होजा शकिल इन्वे है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ</p>	<p>वे दो देव</p> <p></p> <p>अनिल उर्फ सतवीर</p> <p></p> <p>सतवीर</p>